न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 80 / 2019 (2019 / 0004) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–कान सिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–गोविन्दसिं पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3– दलेलसिंह पिता शंभु सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–विरेन्द्रसिंह पिता केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–लाली कंवर पुत्री केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–बेबी कंवर पुत्री केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–पूजा कंवर पुत्री केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–लादु कंवर पत्नि केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9– प्रभुसिंह पिता शंभु सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–अनार खां पिता प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–शरीफ खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–फरीद खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–सराज खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–बरगद पुत्री बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मु0 जुबेदा बेगम बेवा बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7– गुलजार खां पिता प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–बिसमिल्लाह पुत्री प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–मुनी पुत्री प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–दावद खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–रमजान खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–लतीफ खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–जमाल खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14– जाफर खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15– हकीम पिता नसीर खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–बादर खां पिता नसीर खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–सिकन्दर खां पिता नसीर खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–सजाद खां पिता दावद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–सुल्तान खां पिता दावद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20–वसीम पिता दावद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21–अकरम खां पिता दावद खा पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22–आरीफ मोहम्मद पिता आरीफ खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23–जगदीश पिता नारू जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24–रतन पिता लेहरू जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25–मांगु पिता भैरू जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26–कानादास पिता भागीरथ दास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

27—बालुराम पिता मगनीराम सेन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28—मंजु पत्नि सत्यनारायण डाकोत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29—प्रकाश चन्द्र पिता रामस्वरूप मुन्दड़ा (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30—अुर्जनलाल पिता भैरूलाल सोनी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 191 रकबा 0.46 हे0, 409 रकबा 3.00 हे0, 410 रकबा 0.17 हे0, 411 रकबा 0.65 हे0, 412 रकबा 0.22 हे0, 415 रकबा 0.39 हे0, 416 रकबा 0.48 हे0, 423 रकबा 0.19 हे0, 425 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 आचा, 426 रकबा 0.22 हे0, 427 रकबा 0.15 हे0, 428 रकबा 0.19 हे0, 429 रकबा 0.22 हे0, 430 रकबा 0.24 हे0, 454 रकबा 0.010 हे0, 771 रकबा 0.45 हे0, 772 रकबा 0.31 हे0, 773 रकबा 0.33 हे0, 774 रकबा 1.47 हे0, 783 रकबा 0.36 हे0, 940 रकबा 0.29 हे0, 941 रकबा 0.04 हे0 गेमुआचा कुल किता 22 कुल रकबा 9.95 हे0 भूमि खाता संख्या 59 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों और सीमाओ के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारन में दरमियान आपस सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है तथा प्रार्थीगण को घास आदि काटने में, फसल काश्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 30.04.2019 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.06.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 7 से 9 व 12 से 26, 28 से 29 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। तथा विपक्षी संख्या 1 से 6 व 10 व 27 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 191 रकबा 0.46 हे0, 409 रकबा 3.00 हे0, 410 रकबा 0.17 हे0, 411 रकबा 0.65 हे0, 412 रकबा 0.22 हे0, 415 रकबा 0.39 हे0, 416 रकबा 0.48 हे0, 423 रकबा 0.19 हे0, 425 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 आचा, 426 रकबा 0.22 हे0, 427 रकबा 0.15 हे0, 428 रकबा 0.19 हे0, 429 रकबा 0.22 हे0, 430 रकबा 0.24 हे0, 454 रकबा 0.010 हे0, 771 रकबा 0.45 हे0, 772 रकबा 0.31 हे0, 773 रकबा 0.33 हे0, 774 रकबा 1.47 हे0, 783 रकबा 0.36 हे0, 940 रकबा 0.29 हे0, 941 रकबा 0.04 हे0 गेमुआचा कुल किता 22 कुल रकबा 9.95 हे0 भूमि खाता संख्या 59 पर दर्ज होकर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/— अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 4500/— अक्षरे चार हजार पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा